परिपत्र संख्या--35/2017-सीशु

फा.सं.394/13/2016-सी.शु.(एएस)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

(तस्करी रोधी एकक)

***

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त, 2017

सेवा में

सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक) के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,
सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क/जीएसटी के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,
सीबीईसी के सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक,
सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक) के सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त,
सीमाशुल्क (अपील) के सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त,
सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क/जीएसटी के सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त,
सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क/जीएसटी (अपील)के सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त

विषय: सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 - धारा 110क के तहत जब्त की गई आयातित वस्तुओं की अनंतिम रिहाई के लिए दिशानिर्देश।

महोदया/महोदय,

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त की गई आयातित वस्तुओं की अनंतिम रिहाई की अनुमति देने के लिए अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने एवं उनमें एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110क में कहा गया है कि "धारा 110 के तहत जब्त किए गए किसी भी सामान, दस्तावेज या वस्तुओं को, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का आदेश होने तक, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी शर्तों एवं सुरक्षा के साथ उनके मालिक से उसके द्वारा उचित फॉर्म में भरा हुआ बॉण्ड लेकर, रिहा किया जा सकता है "।

2. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110क के तहत जब्त की गई आयातित वस्तुओं की अनंतिम रिहाई पर सामान्यतः जब्त माल के मालिक द्वारा किए गए अनुरोध पर सक्षम न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, निम्नलिखित मामलों में अनंतिम रिहाई की अनुमति नहीं दी जाएगी -

(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या लागू होने वाले समय के लिए किसी अन्य अधिनियम के तहत निषिद्ध सामान;
(ii) वे सामान जो किसी भी अधिनियम, नियम, विनियमन या लागू होने के समय के लिए किसी भी अन्य कानून के अनुसार सांविधिक अनुपालन आवश्यकताओं/दायित्वों को पूरा नहीं करते;
(iii) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 के तहत निर्दिष्ट या अधिसूचित माल;
(iv) जहां सक्षम प्राधिकारी का, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह मानना है कि हो सकता है अनंतिम रिहाई सार्वजनिक हित में न हो।

2.1. जब्त किए गए सामान के मालिक के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त माल के पूर्ण मूल्य/अनुमानित मूल्य के लिए बॉण्ड को निष्पादित करने के शर्ताधीन आयातित जब्त किए गए सामान की अनंतिम रिहाई की जाएगी ।

2.2. इसके अतिरिक्त, ऊपर पैरा 2.1 में उल्लिखित बॉण्ड के अलावा, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित को कवर करने के लिए एक बैंक गारंटी लेगा या सुरक्षा जमा करवाएगा:

i. अनंतिम रूप से रिहा किए जाने वाले जब्त किए गए सामान पर वसूलनीय शुल्क/विभेद शुल्क की पूरी राशि;

ii. केस के फैसले के समय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 के तहत जब्ती के बदले वसूले जाने वाले दंड की राशि। उसे हासिल करते समय, सक्षम प्राधिकारी जब्त माल की प्रकृति, उक्त वस्तुओं पर देय शुल्क एवं प्रभार, उनके बाजार मूल्य और लाभ के अनुमानित मार्जिन को ध्यान में रखेगा;

iii. मामले के न्यायनिर्णयन के समय, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत, यथा लागू, वसूले जाने वाले दंड की राशि।

2.3. किसी मामले की विशिष्ट प्रकृति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऊपर दर्शाए गए अनुसार सुरक्षा जमा की राशि को बढ़ा या घटा सकता है।

2.4. उपरोक्त के अतिरिक्त, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110क के परंतुक के अनुसार, जब्त किए गए माल की अनंतिम रिहाई पर ऐसी शर्त लगा सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

3. इस संदर्भ में, *मालाबार हीरा गैलरी प्राइवेट लिमिटेड बनाम अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई, चेन्नई और अन्य* के मामले में 2016 की अपील याचिका सं 377 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 28.07.2016 को दिये गए फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें माननीय न्यायालय ने किसी भी मामले में माल की अनंतिम रिहाई को अस्वीकार करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान किया है जहां माल तस्करी किया गया हो या आयात अवैध माना गया हो और वह सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन में हो। उक्त निर्णय के अनुसार, प्रासंगिकता और कारण को निर्दिष्ट करते हुए, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसी किन्हीं भी वस्तुओं की अनंतिम रिहाई से मना कर सकता है जिन्हें धारा 111 या धारा 113 के तहत जब्त किया जा सकता है क्योंकि वे सीमाशुल्क अधिनियम,1962 की धारा 2(33) के अनुसार निषिद्ध वस्तुओं की परिभाषा में आती हैं।

4. उपर्युक्त संदर्भ में, *माला पेट्रोकेमिकल एवं पॉलिमर्स बनाम अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई और अन्य के मामले में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3965/2017 तथा माला पेट्रोकेमिकल एवं पॉलिमर्स बनाम सीमाशुल्क (आयात) के आयुक्त आईसीडी, तुगलाबाद, नई दिल्ली और अन्य* के मामले में डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 4123/2017 के मामले में *माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 19 .05.2017 के साझा आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय दिया है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अनेक आदेशों में शायद अनंतिम निर्धारण एवं अनंतिम रिहाई के बीच के अंतर को नहीं माना गया है।* गलत बयानी के मामलों के रू-बरू वस्तुओं के व्यपवर्तन के मामले, अधिसूचना की शर्तों का गैर-अनुपालन, अल्पमूल्यांकन और गलत वर्गीकरण के मामले में अंतर को स्पष्ट करते हुए माननीय न्यायालय ने पाया है कि अंततः, प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं और कभी भी ऐसा एक आम नियम नहीं हो सकता कि गलत बयानी के सभी मामलों में 100%

शुल्क जमा करने के लिए कहा जाए या यदि आयातक को ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो उसे बैंक गारंटी देने के लिए नहीं कहा जा सकता। माननीय न्यायालय ने *मालाबार डायमंड गैलरी प्रा. लिमिटेड बनाम अतिरिक्त महानिदेशक डीआरआई* (ऊपर) के उपर्युक्त मामले का भी उल्लेख किया है जिसमें माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यद्यपि सोने का आयात प्रतिबंधित नहीं था,अगर आयात इस तरह के आयात से जुड़ी शर्तों के उल्लंघन में था, तो यह तस्करी हो सकती है और इसकी अनंतिम रिहाई के लिए अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि अधिनियम की धारा 110क के तहत शक्ति में विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग अंतर्ग्रस्त है और न्यायिक समीक्षा के दायरे में यह जांच करना आता है क्या विवेकाधिकार का सही प्रयोग किया गया है; यह कि सभी प्रकार के गलत आयातों के साथ एक ही तरह के व्यवहार से न्याय-हत्या हो सकती है; और यह कि धारा 110क, मान्यता प्राप्त कानूनी सीमाओं के अधीन विवेकाधिकार के प्रयोग के बारे में सीमाशुल्क के लिए कुछ मार्जिन छोड़ देता है।

4.1. माल की अनंतिम रिहाई की अनुमति देते समय माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाए।

5. जहां जब्त आयातित सामानों की अस्थायी रिहाई की अनुमति है, पैरा 2.1 में निर्दिष्ट बॉण्ड में यह एक वचन शामिल होगा कि आयातक, अधिनियम के तहत अपीलीय उपबंधों के अधीन, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा घोषित शुल्क, जुर्माना और/या दंड का भुगतान करेगा। इसके अलावा, जहां बैंक गारंटी के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहां बैंक गारंटी में एक प्रावधान होना चाहिए जो मामले के अंतिम निर्णय तक इसे नवीकृत और वैध रखने के लिए जारीकर्ता बैंक को बाध्यकारी बनाए, या ऊपर की गारंटी के रूप में बैंक गारंटी के गैर-नवीकरण की स्थिति में, बैंक द्वारा स्वयं ही सरकारी खाते में गारंटीकृत राशि जमा की जाए।

6. निर्यात वस्तुओं की अनंतिम रिहाई के मुद्दे को बोर्ड के परिपत्र संख्या 33/2005 दिनांक 02.08.2005, 01/2011 दिनांक 04.01.2011 और 30/2013 दिनांक 05.08.2013 में विस्तार से पेश किया गया है और इसका अनुपालन जारी रहेगा ।

7. मुख्य आयुक्त/महानिदेशकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्तमान दिशानिर्देशों को अपने प्रभार के अधीन सभी कार्यालयों को परिचालित करें। पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को, यदि कोई हो, बोर्ड के नोटिस में लाया जा सकता है।

रोहित 16.08.17

(रोहित आनंद)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्पष्टीकरण: इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए, (i) 'अनुमानित मूल्य' का मतलब जब्त माल के मूल्य का अनुमान है; (ii) 'अनुमानित शुल्क' का मतलब जब्त माल पर देय शुल्क का अनुमान है; (iii) 'विभेदक शुल्क' का मतलब 'अनुमानित शुल्क' और वास्तव में भुगतान/जमा किए गए शुल्क के बीच का अंतर है।